रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 644] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 1995/कार्तिक 23, 1917
No. 644] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 1995/KARTIKA 23, 1917

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

बम्बई, 14 नवम्बर, 1995

(विदेशी संस्थागत विनिधानकर्त्ता) विनियम, 1995

का. आ. 918(अ) :— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :— इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रमाणपत्र" से इन विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(ग) "अभिहित बैंक" से भारत में कोई भी बैंक अभिप्रेत है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी संस्थागत विनिधानकर्त्ताओं के बैंककार के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;

(घ) "देशी अभिरक्षक" से प्रतिभूतियों की बाबत अभिरक्षण सेवाएं उपलब्ध करने के क्रियाकलाप करने वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित है ;

(ङ) "जांच अधिकारी" से बोर्ड का कोई अधिकारी या इन विनियमों के अध्याय 5 के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(च) "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" से भारत के बाहर स्थापित या निगमित एक संस्था, जो भारत में प्रतिभूतियों में विनिधान की प्रस्थापना करती है, अभिप्रेत है ;

(छ) "प्ररूप" से इन विनियमों की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ज) "भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत" से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 1992 को जारी,

समय-समय पर यथासंशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत अभिप्रेत है ;

(झ) "संस्था" में कृत्रिम विधिक व्यक्ति सम्मिलित है ;

(ञ) "अनुसूची" से इन विनियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ट) "उप लेखा" में भारत के बाहर स्थापित या निगमित वे संस्थाएं और भारत के बाहर स्थापित वे निधियां, या संविभाग चाहे निगमित हों या नहीं, सम्मिलित हैं, जिनकी ओर से विदेशी संस्थागत-विविधानकर्त्ता द्वारा भारत में विनिधानों का प्रस्थापन किया जाता है ।

अध्याय II

विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता का रजिस्ट्रीकरण

3. प्रमाणपत्र के लिए आवेदन :- (1) कोई व्यक्ति विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के रूप में प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या उनमें अन्यथा व्यौहार नहीं करेगा जब तक कि वह बोर्ड द्वारा इन विनियमों के अधीन प्रदान किया गया प्रमाण-पत्र धारण न करता हो ।

(2) प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए आवेदन प्ररूप 'क' में बोर्ड को किया जायेगा ।

(3) उप विनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए बोर्ड को किया गया आवेदन उप-विनियम (2) के अधीन किया गया आवेदन माना जायेगा और आवेदन पर उसके संबंध में तदनुसार विनियमों के अधीन कार्यवाही की जायेगी ।

(4) इसमें ऊपर अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसने इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया और जिसे बोर्ड द्वारा भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा चुका है, उसका आवेदन उपर्युक्त उप-विनियम (2) के अधीन किया गया आवेदन माना जायेगा, इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन खरीद, बिक्री या प्रतिभूतियों में अन्यथा व्यौहार जारी रख सकेगा, जब तक कि उसे इन विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान या इंकार न कर दिया जाए ।

4. सूचना, स्पष्टीकरण देना और वैयक्तिक प्रतिनिधित्व :- (1) बोर्ड प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदक के क्रिया-कलापों से सुसंगत मामलों के संबंध में आवेदक से ऐसी और जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए अपेक्षा कर सकेगा जो बोर्ड आवश्यक समझता है ।

(2) आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि बोर्ड द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, प्रमाणपत्र प्रदान करने के संबंध में व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व के लिए बोर्ड के समक्ष हाजिर होगा ।

5. अपेक्षाओं के अनुरूप आवेदन :- विनियम (3) के उप-विनियम (3) और उप-विनियम (4) के अध्यधीन, कोई आवेदन, जो सर्वपक्ष से पूर्ण नहीं है और जो प्ररूप में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरूप नहीं है या किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या या भ्रामक है, बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा ।

परन्तु यह कि ऐसे आवेदन को नामंजूर करने से पूर्व ऐसी आपत्तियों को, जो बोर्ड द्वारा उपदर्शित की जाए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय में दूर करने का आवेदनकर्ता को अवसर दिया जायेगा ।

6. आवेदन पर विचार.- प्रमाणपत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड उन सभी बातों पर जो प्रमाणपत्र प्रदान करने से सुसंगत है और मुख्यतः निम्नलिखित पर विचार करेगा अर्थात् :—

(क) आवेदक का पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड, वृत्तिक सक्षमता, वित्तीय दृढ़ता, अनुभव, औचित्य और सत्यनिष्ठा की साधारण ख्याति;

(ख) क्या आवेदक एक समुचित विदेशी विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित है ;

(ग) क्या आवेदक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के अधीन एक विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के रूप में भारत में विनिधान करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी गयी है ;

(घ) क्या आवेदक :—

(i) भारत के बाहर पेंशन निधि या पारस्परिक निधि या विनिधान व्यास के रूप में स्थापित या निगमित एक संस्था है ; या

(ii) एक आस्ति प्रबंधन कंपनी या नामनिर्देशिती कंपनी या बैंक या संस्थागत संविभाग प्रबंधक जो भारत के बाहर स्थापित या निगमित हो और विस्तृत आधारीय निधियों की ओर से भारत में विनिधान करने का प्रस्ताव कर रहा है ; या

(iii) भारत के बाहर निगमित या स्थापित एक न्यासी या मुख्तारनामा धारक, और विस्तृत आधारीय निधियों की ओर से भारत में विनिधान करने का प्रस्ताव कर रहा है ।

स्पष्टीकरण :—

इस विनियम के प्रयोजनों के लिए 'विस्तृत आधारीय निधि' से अभिप्रेत है एक निधि जो भारत से बाहर स्थापित या निगमित हो, जिसके कम से कम पचास विनिधानकर्ता हों, जिनमें से किसी एक व्यष्टि विनिधानकर्ता द्वारा निधि के शेयरों या यूनिटों का पांच प्रतिशत से अधिक धारित न हो ;

परन्तु कि यदि विस्तृत आधारीय निधि के पास संस्थागत विनिधानकर्ता हो (हों), तो निधि के लिए पचास विनिधानकर्ता होना आवश्यक नहीं होगा ;

परन्तु यह और कि यदि विस्तृत आधारीय निधि के पास एक संस्थागत विनिधानकर्ता है जो निधि के पांच प्रतिशत से अधिक शेयर या यूनिट धारण करता है, तो संस्थागत विनिधानकर्ता स्वयं भी एक विस्तृत आधारीय निधि होना चाहिए; या

(क) क्या आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना प्रतिभूति बाजार के विकास के हित में है ।

7. प्रक्रिया और प्रमाणपत्र प्रदान करना .— जहां इन विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन किया जाता है बोर्ड यथासंभव शीघ्र परन्तु इसके द्वारा मंगायी गयी जानकारी प्रदान किये जाने के तीन महीने के पश्चात्, यदि संतुष्ट हो कि आवेदन सभी प्रकार से संपूर्ण है, वांछित सभी विशिष्टियां दे दी गयी हैं और आवेदक प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के लिए पात्र पाया गया है दूसरी अनुसूची के अनुसरण में फीस के संदाय के अध्यधीन प्रपत्र ख में एक प्रमाणपत्र प्रदान करेगा ।

8. प्रमाणपत्र की वैधता.— प्रमाणपत्र और तदोपरान्त प्रत्येक नवीकरण यथास्थिति इसके प्रदान किये जाने या नवीकरण की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा ।

9. प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन.—(1) प्रमाण पत्र की अवधि की समाप्ति से तीन मास पूर्व, विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता यदि वह ऐसा चाहे, तो नवीकरण के लिए प्ररूप 'क' में आवेदन कर सकेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन के संबंध में यथा संभव, उसी रीति से कार्यवाही की जायेगी मानो वह विनियम 3 के उप-विनियम (2) के अधीन प्रमाणपत्र दिये जाने के लिए आवेदन हो ।

(3) बोर्ड, ऐसे आवेदन पर, यदि संतुष्ट हो कि आवेदक विनियम 6 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है, दूसरी अनुसूची के अनुसार फीस के संदाय के अध्यधीन प्ररूप ख में प्रमाणपत्र प्रदान करेगा ।

10. विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता को प्रमाणपत्र प्रदान करने का नवीकरण करने के लिए शर्तें .— विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता को प्रमाणपत्र प्रदान करना या नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा अर्थात :—

(क) वह इन विनियमों के उपबंधों का पालन करेगा ;

(ख) यदि बोर्ड को पहले दी गयी कोई जानकारी या विशिष्टियां किसी तात्विक बात की बाबत मिथ्या या भ्रामक पायी जाती हैं, तो वह बोर्ड को तुरन्त लिखित में इसकी जानकारी देगा ;

(ग) यदि उसके द्वारा बोर्ड को पहले दी गयी जानकारी या विशिष्टियों में कोई तात्विक परिवर्तन होता है जो बोर्ड द्वारा प्रदान किये गये प्रमाणपत्र पर प्रभाव डालता है, तो वह तुरन्त बोर्ड को जानकारी देगा ;

(घ) वह एक देशी अभिरक्षक की नियुक्ति करेगा और भारत में कोई विनिधान करने से पूर्व देशी अभिरक्षक से प्रतिभूतियों के बारे में अभिरक्षक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक करार करेगा ;

(ङ) वह भारत में कोई विनिधान करने से पूर्व एक विशेष अनिवासी रुपया या विदेशी मुद्रा खाते के परिचालन के प्रयोजन के लिए एक अभिहित बैंक के साथ इंतजाम करेगा ;

(च) किसी उप-लेखे यदि कोई हो, की ओर से भारत में कोई विनिधान करने से पूर्व, वह इन विनियमों के अधीन ऐसे उप-लेखे के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा ;

11. प्रक्रिया जहां प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाता है .— (1) जहां प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने या नवीकरण के लिए आवेदन विनियम 6 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, वहां बोर्ड आवेदक को सुने जाने का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आवेदन नामंजूर कर सकेगा ।

(2) आवेदन नामंजूर किये जाने का विनिश्चय आवेदक को उसमें उन आधारों का कथन करते हुए जिन पर आवेदन नामंजूर किया गया है, बोर्ड द्वारा लिखित में सूचित किया जायेगा ।

(3) आवेदक, जो उप विनियम (1) के अधीन बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित है, उप विनियम (2) के अधीन संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर बोर्ड को इसके विनिश्चय पर पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(4) बोर्ड, यथासंभव शीघ्र, उप विनियम (3) के अधीन पुनर्विचार के लिए किये गये आवेदन में की गयी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए और सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात अपना विनिश्चय आवेदक को लिखित रूप में पहुंचायेगा ।

12. उप लेखों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन .— (1) एक विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता प्रत्येक उप-लेखे के लिए जिसकी ओर से वह भारत में विनिधान का प्रस्थापन करना चाहता है बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा ।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी उप-लेखा को बोर्ड द्वारा इन विनियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रदान किया गया अनुमोदन इन विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा उप-लेखा के रूप में प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण समझा जायेगा ।

(3) उपलेखा के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्ररूप क के पैरा 5 के उप-पैरा ख में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी ।

13. उप लेखों के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया और प्रदान करना (1) रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड सभी बातों को जो उप लेखा को ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए सुसंगत है, और विशेष रूप से निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा; अर्थात् :—

(क) आवेदक भारत से बाहर स्थापित या निगमित एक संख्या या निधि या संविभाग है और भारत में विनिधान करने का प्रस्थापन करता है ;

(ख) आवेदक एक विस्तृत आधारीय निधि है ;

(ग) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता जिसके माध्यम से बोर्ड को रजिस्ट्रीकरण का आवेदन किया जाता है, विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के रूप में प्रमाणपत्र धारण करता है; और

(घ) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता जिसके माध्यम से उप लेखा के रजिस्ट्रीकरण का आवेदन किया जाना है, उपलेखा की ओर से विनिधान करने के लिए प्राधिकृत है।

(2) बोर्ड समाधान होने पर कि आवेदक रजिस्ट्रीकरण प्रदान किये जाने के लिए पात्र है, उपालेखें को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगा।

(3) इस विनियम के उप विनियम (2) के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्राप्त एक उपलेखे को आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 115ए डी के अधीन विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं को उपलब्ध फायदे को प्राप्त करने के सीमित प्रयोजन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत एक विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत समझा जायेगा।

अध्याय III

विनिधान शर्तें और निर्बंधन

14. विनिधान का प्रारंभ कोई विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता इस अध्याय के उपाबंधों का पालन किये बिना भारत में प्रतिभूतियों में कोई विनिधान नहीं करेगा।

15. विनिधान निर्बंधन (1) एक विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता केवल निम्नलिखित में विनिधान कर सकेगा :—

(क) भारत में एक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध की जाने वाली कंपनियों के शेयरों, डिबेंचरों और वारंटों सहित प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियां; और

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट सहित देशी पारस्परिक निधियों द्वारा चालू की गयी योजनाओं की यूनिट चाहे किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हों या नहीं।

(2) इस विनियम के उप विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा भारत में ईक्विटी और ईक्विटी से संबद्ध लिखतों (पूर्णत : परिवर्तनीय डिबेंचरों आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों के परिवर्तनीय अंशों और व्यापार योग्य वारंटों सहित) में किया गया कुल विनिधान चाहे उसके स्वयं की ओर से हो या उसके उप लेखों की ओर से, विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा भारत में स्वयं अपनी ओर से और उसके उप लेखों की ओर से किये गये सब विनिधानों के योग के सत्तर प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(3) द्वितीयक बाजार में विनिधानों के संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें लागू होंगी :—

(क) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता केवल खरीदी गयी और बेची गयी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेने और देने के आधार पर ही कारबार करेगा और प्रतिभूतियों की मंदडिया बिक्री में नहीं लगेगा;

(ख) स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी संव्यवहार अग्रनीत नहीं किया जायेगा ;

(ग) प्रतिभूतियों में कारबार का संव्यवहार केवल बोर्ड द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र प्राप्त स्टॉक दलालों के माध्यम से ही होगा।

(4) जब तक कि बोर्ड द्वारा अन्यथा अनुमोदित न किया जाए प्रतिभूतियां रजिस्ट्रीकृत की जायेंगी :—

(क) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के नाम से परन्तु यह कि विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता अपनी स्वयं की ओर से विनिधान कर रहा है; या

(ख) उसके उप लेखे के लिए अपने नाम में या उप लेखें के नाम से यदि वह उप लेखे की ओर से विनिधान कर रहा है :

परन्तु यह कि उप लेखों के नाम जिनकी ओर से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता विनिधान कर रहा है, विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा बोर्ड को प्रकट किये गये हैं।

(5) अपनी ओर से विनिधान करने वाले विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा प्रत्येक कंपनी के ईक्विटी शेयरों की खरीद उस कंपनी की कुल निर्गमित पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(6) अपने उप लेखों की ओर से किसी कंपनी के ईक्विटी शेयरों में विनिधान करने वाले विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के बारे में प्रत्येक ऐसे उपलेखे की ओर से किया गया विनिधान उस कंपनी की कुल निर्गमित पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(7) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा विनिधान भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अध्यधीन होगा।

अध्याय IV

सामान्य बाध्यताएं और दायित्व

16. देशी अभिरक्षक की नियुक्ति (1) एक विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता या विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की ओर से कार्य कर रहा एक सार्वभौमिक अभिरक्षक,

विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के लिए प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए एक देशी अभिरक्षक से करार करेगा,

(2) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता सुनिश्चित करेगा कि देशी अभिरक्षक निम्नलिखित के लिए कदम उठाता है।

(क) भारत में विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के विनिधानों का अनुरक्षण ;

(ख) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा किये गये संव्यवहारों की दैनिक आधार पर बोर्ड को रिपोर्ट देना;

(ग) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के रूप में उसके क्रियाकलापों से संबंधित अभिलेखों का पांच वर्ष तक परिरक्षण, और

(घ) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के क्रियाकलापों के बारे में बोर्ड को ऐसी जानकारी प्रदान करना जो बोर्ड द्वारा मांगी जाए और जो कि इस विनियम के प्रयोजन के लिए सुसंगत हो।

(3) एक विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता बोर्ड के पूर्वानुमोदन से एक से अधिक देशी अभिरक्षकों को नियुक्त कर सकेगा लेकिन एक विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के एक एकल उप लेखे के लिए केवल एक अभिरक्षक नियुक्त किया जा सकेगा।

17. अभिहित बैंक की नियुक्ति :— एक विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता विदेशी मुद्रा अंकित खाते और विशेष अनिवासी रुपया खाते खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित एक बैंक की एक शाखा को नियुक्त करेगा।

18. उचित लेखा-बहियां और अभिलेख आदि का रख रखाव (1) प्रत्येक विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता, यथास्थिति निम्नलिखित लेखा बहियां, अभिलेख और दस्तावेज रखेगा या उन्हें बनाये रखेगा अर्थात्;

(क) खरीद, बिक्री के लिए समग्र पूंजी के प्रेषण और समग्र पूंजी से किये विनिधान से बसूले पूंजीगत अभिलाभ से संबद्ध सत्य और ऋजु लेखे ;

(ख) भारत में विनिधान के लिए भारत को प्रेषण और ऐसे प्रेषणों से किये गये विनिधानों पर बसूले गये पूंजीगत अभिलाभ के लेखे ;

(ग) लेखों के बैंक विवरण;

(घ) प्रतिभूतियों के खरीद और बिक्री से संबंधित संविदा नोट; और

(ङ) प्रतिभूतियों में विनिधान के संबंध में देशी अभिरक्षक से और को संसूचना।

(2) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता बोर्ड को लिखित रूप में उस स्थान की सूचना देगा जहां ऐसी बहियां, अभिलेख और दस्तावेज रखे जायेंगे या बनाये रखे जायेंगे।

19. लेखा बहियां, अभिलेखों आदि परिरक्षण :— तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता विनियम 18 में विनिर्दिष्ट लेखा बहियों अभिलेखों और दस्तावेजों को न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक परिरक्षित करेगा।

20. बोर्ड को जानकारी :— प्रत्येक विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता जैसे ही और जब बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित हो, बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक को, यथास्थिति विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के रूप में उसके क्रियाकलापों के संबंध में कोई जानकारी, अभिलेख या दस्तावेज, जैसी बोर्ड या जैसी भारतीय रिजर्व बैंक अपेक्षा करे प्रस्तुत करेगा।

अध्याय V

व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

21. प्रमाणपत्र का रद्दकरण या निलंबन :— (1) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता जो :—

(क) किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अध्यधीन प्रमाणपत्र दिया गया है ; या

(ख) अधिनियम या इन विनियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, इन विनियमों में यथा उपबंधित जांच, करने के पश्चात् —

(i) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रमाणपत्र के निलंबन; या

(ii) प्रमाणपत्र के रद्दकरण;

की शास्ति का दायी होगा।

(2) इन विनियमों के उपबंध विनियम 22 और 23 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

22. प्रमाणपत्र का निलंबन :— किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के प्रमाणपत्र के निलंबन की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी यदि वह —

(क) प्रतिभूतियों के कपटपूर्ण लेन देन में लगता है ;

(ख) बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाअपेक्षित प्रतिभूतियों में उसके लेनदेन से संबंधित कोई जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है ;

(ग) बोर्ड को मिथ्या जानकारी देता है ; या

(घ) बोर्ड द्वारा संचालित किसी जांच में सहयोग नहीं देता है।

23 प्रमाणपत्र का रद्दकरण :— किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं के प्रमाणपत्र के रद्दकरण की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी यदि वह —

(क) प्रतिभूति बाजार या विनिधानकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले विमर्शित छलसाधन या कीमत बढ़ाने या बाजार मुट्ठी में करने के क्रियाकलाप में लगता है ;

(ख) कपट या दांडिक अपराध का दोषी है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है ;

(ग) इन विनियमों में अधिकथित पात्रता मानदंड पूरा नहीं करता है;

(घ) अधिनियम के अधीन बनाये गये, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार) विनियम, 1992 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 1995 के उपबंधों का अतिक्रमण करता है; या

(ङ) विनियम 22 में उल्लिखित स्वरूप के व्यतिक्रमों की पुनरावृत्ति का दोषी है।

स्पष्टीकरण:—इस विनियम में कपट का अभिप्राय वही होगा जैसा इसे भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 17 में नियत किया गया है।

24. प्रमाणपत्र के निलंबन और रद्दकरण के आदेश की रीति :—प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण की शास्ति का कोई आदेश विनियम 25 और 26 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् ही विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता पर अधिरोपित किया जायेगा अन्यथा नहीं।

25. जांच करने की रीति:—(1) विनियम 24 में निर्दिष्ट जांच करने के प्रयोजन के लिए, बोर्ड एक जांच अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा।

(2) जांच अधिकारी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता को विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के कारबार के मुख्य स्थान पर विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा किये गये अभिकथित व्यतिक्रम को उपवर्णित करते हुए और उसमें कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि विनियम 21 में विनिर्दिष्ट शास्ति उस पर क्यों अधिरोपित नहीं की जानी चाहिए, एक सूचना जारी करेगा।

(3) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, जांच अधिकारी को, अपने उत्तर के समर्थन में अपने द्वारा आश्रित दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य की प्रतियों सहित उत्तर भेजेगा।

परन्तु यह कि जांच अधिकारी उससे और अधिक जानकारी के प्रदाय की अपेक्षा कर सकता है।

(4) जांच अधिकारी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता को इस विनियम के उपविनियम (3) के अधीन दिये गये उसके उत्तर के समर्थन में कथन करने के लिए उसे समर्थ करने के लिए सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(5) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता जांच अधिकारी के समक्ष या तो स्वयं या उसके द्वारा लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की मार्फत उपस्थित हो सकेगा।

(6) यदि यह आवश्यक समझा जाता है तो जांच अधिकारी बोर्ड से इसका मामला उपस्थित करने के लिए उपस्थिति अधिकारी नियुक्त करने के लिए कह सकेगा।

(7) जांच अधिकारी सभी सुसंगत तथ्यों और विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा और उपस्थिति अधिकारी, यदि उपर्युक्त विनियम 6 के अधीन नियुक्त किया गया हो, द्वारा किये गये सभी कथनों पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी शास्ति के लिए औचित्य के साथ अधिनिर्णीत की जाने वाली शास्ति, यदि कोई हो, की सिफारिश करेगा।

26. कारण बताओ सूचना और आदेश :—(1) जांच अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर, बोर्ड उस पर विचार करेगा और विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता को कारण बताओ सूचना जारी करेगा कि ऐसी शास्ति जो वह उचित समझता है और जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जायेगी क्यों न अधिरोपित की जाए।

(2) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता इस विनियम के उपविनियम (1) में निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर बोर्ड को, सूचना का उत्तर भेजेगा।

(3) बोर्ड कारण बताओ सूचना के उत्तर पर, यदि समय पर प्राप्त हुआ हो, विचार करने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र किंतु उत्तर की, यदि कोई हो, प्राप्ति से तीस दिन के अपश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे।

(4) इस विनियम के उप-विनियम (3) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश स्वतःपूर्ण होगा और उसमें कथित निष्कर्षों के लिए कारण, जिनके अन्तर्गत उस आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति का, यदि कोई है, औचित्य होगा।

27. प्रमाणपत्र के निलंबन और रद्दकरण का प्रभाव :—(1) प्रमाणपत्र के निलंबन की तारीख से ही, यदि इस अध्याय के अधीन आदेश दिया गया हो, विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता निलंबन की अवधि के दौरान भारत में प्रतिभूतियों में क्रय, विक्रय या अन्यथा व्यौहार करना समाप्त कर देगा।

(2) प्रमाणपत्र के रद्दकरण की तारीख से ही, यदि इस अध्याय के अधीन आदेश दिया गया हो, विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता विद्यमान विनिधानों के परिसमापन के प्रयोजन के अलावा, भारत में प्रतिभूतियों में क्रय, विक्रय या अन्यथा व्यौहार करना समाप्त कर देगा।

28. प्रमाणपत्र के निलंबन और रद्दकरण के आदेश का प्रकाशन :—इस अध्याय के अधीन प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण का आदेश बोर्ड द्वारा कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा।

29. अपील :—विनियमों के अधीन बोर्ड के आदेश से व्यथित कोई विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (केन्द्रीय सरकार को अपील) नियम, 1993 के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा।

[फा. सं. भा. प्र. वि. बो/एल. ई/95]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पहली अनुसूची—प्ररूप

प्ररूप क

(विनियम 3)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड से विदेशी संस्थागत विधिानकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण-प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु आवेदन प्ररूप

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
मित्तल कोर्ट, 'बी' विंग, पहली मंजिल
नरिमन पॉइंट बंबई-400021, भारत

1. आवेदक का नाम, पता, टेलीफोन सं. टेलेक्स सं. और फैक्स सं. । यदि आवेदक का भारत में पहले से ही कार्यालय है तो उस कार्यालय की विशिष्टियां भी दी जाएं ।

2. कृपया उपदर्शित करें कि क्या आवेदक निम्न श्रेणियों में से किसी, एक या अधिक का अंग है ;

पेंशन निधि पारस्परिक निधि, विनिधान न्यास आस्ति प्रबंधन कंपनी, बैंक/नामिती कंपनी और निगमित/संस्थागत संविभाग प्रबंधक या उनके मुख्तारनामा-धारक (वैवेकिक और अवैवेकिक संविभाग प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराने वाले) ।

3. (क) आवेदक के निगमन की तारीख और स्थान ।

(ख) आवेदक के मुख्य क्रियाकलापों का संक्षिप्त वर्णन और ऐसे क्रियाकलाप प्रारंभ करने का वर्ष ।

(ग) इस समूह का, यदि कोई हो, संक्षिप्त वर्णन, जिसका रजिस्ट्रीकृत अंग है ।

4. प्रतिभूति आयोग/स्वविनियामक संगठन/प्रतिभूति बाजार के लिए सुसंगत कानूनी प्राधिकारी या अन्य कोई उपयुक्त विनियामक प्राधिकारी जिसके पास आवेदक रजिस्ट्रीकृत है या जिसके द्वारा आवेदक, उस देश में, जहां आवेदक निगमित है या इसके परिचालन के देशों में विनियमित है, और रजिस्ट्रीकरण सं. और रजिस्ट्रीकरण की अवधि ;

कृपया यह भी कथन करें कि क्या प्रतिभूति विधियों, सदाचार/आचार संहिता, कारबार नियम संहिता के अतिक्रमण या पालन न किए जाने की कोई घटना हुई है, जिसके लिए आवेदक या उसकी मूल/नियंत्री कंपनी या संबद्ध को आर्थिक या आपराधिक दायित्व का भागी ठहराया जा सकेगा या उसके कामकाज करने से निलंबित किया जा सकेगा या रजिस्ट्रीकरण को अस्थायी या स्थायी तौर पर प्रतिसंहृत किया गया है ।

5. (क) कृपया ग्राहकों के नाम उपदर्शित करें जिनकी ओर से आप भारत में विनिधान का प्रस्थापन करते हैं ।

(ख) कृपया ग्राहक के संबंध में निम्न ब्यौरे उपलब्ध करायें :

(i) ग्राहक (अर्थात् भागीदारी, फर्म, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पेंशन निधि, पारस्परिक निधि, विनिधान न्यास आदि) के निगमन और गठन की तारीख और स्थान;

(ii) क्या ग्राहक एक नियंत्री या समनुषंगी कंपनी या कोई अन्य कंपनी है ।

(iii) क्या ग्राहक किसी विनियामक एजेंसी के पास रजिस्ट्रीकृत है; यदि है तो, विनियामक एजेंसी का नाम और पता, रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख;

(iv) ग्राहकों के उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप (विनिधान/निधि प्रबंधन/इस कंपनी, विनिधान कंपनी, पारस्परिक निधि, पेंशन निधि आदि) ।

(v) ग्राहकों के शेयरधारकों की संख्या और प्रकार (अर्थात् व्यक्ति, संस्थाएं आदि) ।

—हितार्थिकारियों की, जिनकी ओर से ग्राहक के संस्थागत शेयरधारक विनिधान कर रहे है, संख्या के ब्यौरे के साथ-साथ, शेयरधारकों के समूहों के बीच आस्तियों का प्रतिशत वितरण भी उपलब्ध कराया जाए ।

(vi) ग्राहक की आस्तियों का परिमाण ।

(यदि आवेदक स्वयं एक निधि है तो 5(ख) के विषय में निधि से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी जाए) ।

6. कृपया वह रीति उपदर्शित करें जिसमें आप भारत में अपने विनिधान संचालित करने का प्रस्थापन करते हैं, अर्थात् चाहे भारत में एक स्थापन के माध्यम से या भारत के बाहर किसी अन्य कार्यालय के माध्यम से कृपया ब्यौरे दें, और संपर्क व्यक्ति/अनुपालना अधिकारी का नाम भी दें ।

7. भारत में अभिहित बैंक शाखा का नाम और पता जिसके माध्यम से विनिधान किए जाने का प्रस्थापन किया जाना है ।

8. (क) देशी अभिरक्षक का नाम, पता, टेलीफोन सं., टेलेक्स सं. और फैक्स सं. । कृपया अभिरक्षक की पृष्ठभूमि की जानकारी भी किए गए कारबार का परिमाण, संगठनात्मक अवसंरचना और विनिधान कंपनियों की संख्या, जिनके लिए देशी अभिरक्षक, अभिरक्षक के रूप में कार्य कर रहा है या कार्य कर चुका है, को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत करें ।

9. देशी अभिरक्षक के साथ किए गए करार की विशिष्टियां।

उपाबंध

आवेदन से संलग्न किए जाने वाले प्रलेख :

(क) संगम-ज्ञापन और अनुच्छेदों तथा विनिधान प्रबंधन करारों या आवेदक को उसके ग्राहकों की ओर से विनिधान करने के लिए प्राधिकृत करने वाले किन्हीं अन्य करारों की प्रतियां ।

(ख) पिछले पांच वर्षों के लेखा परीक्षित वित्तीय और वार्षिक रिपोर्टें ।

(ग) प्रतिभूति आयोग और/या स्व विनियामक संगठन, या किसी अन्य उपयुक्त विनियामक प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण या विनियमन का समर्थन करने वाले प्रलेख ।

(घ) देशी अभिरक्षक के साथ अभिरक्षक करार की प्रति ।

(ङ.) घोषणा कथन (निम्नानसार किया जाए)

हम एतद्द्वारा करार करते हैं और घोषणा करते हैं कि आवेदन में दी गयी जानकारी, संलग्नक पत्रों सहित, पूर्ण और सत्य है ।

और हम यह और करार करते हैं कि यदि आवेदन में उपलब्ध करायी गयी जानकारी में कोई परिवर्तन हो तो हम तुरत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करेंगे ।

हम यह और करार करते हैं कि हम अधिनियम और उसके अधीन जारी किए गए विनियमों के उपबंधों तथा भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों सहित अन्य सभी सुसंगत विधियों का अनुपालन करेंगे ।

हम यह और करार करते हैं कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करने की शर्त के रूप में हम ऐसे कार्यचालन-संबंधी अनुदेशों/निदेशों का पालन करेंगे जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं ।

——————————के लिए और की ओर से

(आवेदक का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम) (हस्ताक्षर)

दिनांक :

स्थान :

टिप्पणी:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भा प्र वि बो) तथा भारतीय रिजर्व बैंक (भा रि बैं) आवेदक से उसके आवेदन के संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी मांगने का अधिकार रखते हैं ।

2. आवेदन, जिस पर "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन' लिखा हो, भा प्र वि बो के कार्यालय में, महरयंद लिफाफों में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

प्ररूप ख

(विनियम 7)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम 1995

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

I. बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के साथ पठित उस अधिनियम की धारा- 12 की उपधारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ——————————को अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के रूप में प्रमाणपत्र एतद्द्वारा प्रदान करता है ।

II. विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता का रजिस्ट्रीकरण कूट आइ एन/—/—/है ।

III जब तक नवीकृत न किया जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ————से ——————तक विधिमान्य है ।

दिनांक :

स्थान : बंबई

आदेश द्वारा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

के लिए और की ओर से

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दूसरी अनुसूची—फीस का संदाय

(विनियम 7)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय, बोर्ड

(विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995

(1) विनियम 7 के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए पात्र प्रत्येक आवेदक 10 000 अमेरिकी डालर की रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण फीस प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण के समय तथा प्रत्येक नवीकरण के समय बोर्ड से सूचना देने की तारीख से 15 दिनों के भीतर संदेय होगी ।

(3) फीस, बंबई में संदेय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पक्ष में आहरित चैक, ड्राफ्ट या अन्य लिखत द्वारा संदेय होगी ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Bombay, the 14th November, 1995

(Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995

S.O. 918(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Board hereby, makes the following regulations, namely :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(b) "certificate" means a certificate of registration granted by the Board under these regulations;

(c) "designated bank" means any bank in India, which has been authorised by the Reserve Bank of India to act as a banker to Foreign Institutional Investors;

(d) "domestic custodian" includes any person carrying on the activity of providing custodial services in respect of securities;

(e) "enquiry officer" means any officer of the Board, or any other person appointed by the Board under Chapter V of these regulations;

(f) "Foreign Institutional Investor" means an institution established or incorporated oustide India which proposes to make investment in India in securities;

(g) "form" means a form specified in the First Schedule to these regulations;

(h) "Government of India Guidelines" means the guidelines dated September 14, 1992 issued by the Government of India for Foreign Institutional Investors, as amended from time to time;

(i) "institution" includes every artificial juridical person;

(j) "schedule" means a schedule to these regulations;

(k) "sub-account" includes those institutions, established or incorporated outside India and those funds, or portfolios, established outside India, whether incorporated or not, on whose behalf investments are proposed to be made in India by a Foreign Institutional Investor.

CHAPTER II

REGISTRATION OF FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTOR

3. Application for certificate.– (1) No person shall buy, sell or otherwise deal in securities as a Foreign Institutional Investor unless he holds a certificate granted by the Board under these regulations.

(2) An application for the grant of certificate shall be made to the Board in form A.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), any Foreign Institutional Investor who has made an application for the grant of a certificate to the Board prior to the commencement of these regulations shall be deemed to have made an application under sub-regulation (2) and the application shall be accordingly dealt with under these regulations.

(4) Notwithstanding anything contained hereinabove, any person who has before the commencement of these regulations, made an application for registration and has been granted registration by the Board under the Government of India Guidelines to act as a Foreign Institutional Investor shall be deemed to have made an application under sub-regulation (2) above may continue to buy, sell or otherwise deal in securities subject to the provisions of these regulations, till the grant or refusal of a certificate under these regulations.

4. Furnishing of information, clarification and personal representation.—(1) The Board may require the applicant to furnish such further information or clarification as the Board considers necessary regarding matters relevant to the activities of the applicant for grant of certificate.

(2) The applicant or his authorised representative shall, if so required by the Board, appear before the Board for personal representation in connection with the grant of a certificate.

5. Application to conform to the requirements.—Subject to the provisions of sub-regulation (3) and sub-regulation (4) of regulation 3, any application, which is not complete in all respects and does not conform to the instructions specified in the form or is false or misleading in any material particular, shall be rejected by the Board.

Provided that, before rejecting any such application, the applicant shall be given a reasonable opportunity to remove, within the time specified by the Board, such objections as may be indicated by the Board.

6. Consideration of application.—For the purpose of the grant of certificate the Board shall take into account all matters which are relevant to the grant of a certificate and in particular the following, namely :—

(a) the applicant's track record, professional competence, financial soundness, experience, general reputation of fairness and integrity;

(b) whether the applicant is regulated by an appropriate foreign regulatory authority;

(c) whether the applicant has been granted permission under the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) by the Reserve Bank of India for making investments in India as a Foreign Institutional Investor;

(d) whether the applicant is—

(i) an institution established or incorporated outside India as Pension Fund or Mutual Fund or Investment Trust; or

(ii) an Asset Management Company or Nominee Company or Bank or Institutional Protfolio Manager, established or incorporated outside India and proposing to make investments in India on behalf of broad based funds; or

(iii) a Trustee or a Power of Attorney holder, incorporated or established outside India, and proposing to make investments in India on behalf of broad based funds.

Explanation :

For the purposes of this regulation, "broad based fund" means a fund, established or incorporated outside India, which has at least fifty investors, with no single individual investor holding more than five per cent of the shares or units of the fund.

Provided that if the board based fund has institutional investor(s) it shall not be necessary for the fund to have fifty investors :

Provided further that if the broad based fund has an institutional investor who holds more than five per cent of the shares or units in the fund, then the institutional investor must itself be a broad based fund; or

(e) whether the grant of certificate to the applicant is in the interest of the development of the securities market.

7. Procedure and grant of certificate.—Where an application is made for grant of certificate under these regulations, the Board shall, as soon as possible but not later than three months after information called for by it is furnished, if satisfied that the application is complete in all respects, all particulars sought have been furnished and the applicant is found to be eligible for the grant of certificate, grant a certificate in form B, subject to payment of fees in accordance with the Second Schedule.

8. Validity of certificate.—The certificate and each renewal thereof shall be valid for a period of five years from the date of its grant or renewal, as the case may be.

9. Application for renewal of certificate.—(1) Three months before the expiry of the period of certificate, the Foreign Institutional Investor, if he so desires, may make an application for renewal in form A.

(2) The application for renewal under sub-regulation (1) shall, as far as may be, be dealt with in the same manner as if it were an application made under sub-regulation (2) of regulation 3 for grant of a certificate.

(3) The Board shall, on such application, if satisfied that the applicant fulfils the requirements specified in regulation 6, grant a certificate in form B, subject to payment of fees in accordance with the Second Schedule.

10. Conditions for grant or renewal of certificate to Foreign Institutional Investors.—The grant or renewal of certificate to Foreign Institutional Investor shall be subject to the following conditions namely :

(a) he shall abide by the provisions of these regulations;

(b) if any information or particulars previously submitted to the Board are found to be false or misleading, in any material respect, he shall forthwith inform the Board in writing;

(c) if there is any material change in the information previously furnished by him to the Board, which has a bearing on the certificate granted by the Board, he shall forthwith inform the Board;

(d) he shall appoint a domestic custodian and before making any investments in India, enter into an agreement with the domestic custodian providing for custodial services in respect of securities;

(e) he shall, before making any investments in India, enter into an arrangement with a designated bank for the purpose of operating a special non-resident rupee or foreign currency account;

(f) before making any investments in India on behalf of a sub-account, if any, he shall obtain registration of such sub-account, under these regulations.

11. Procedure where certificate is not granted.—(1) Where an application for grant or renewal of a certificate does not satisfy the requirements specified in regulation 6, the Board may reject the application after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard.

(2) The decision to reject the application shall be communicated by the Board to the applicant in writing stating therein the grounds on which the application has been rejected.

(3) The applicant, who is aggrieved by the decision of the Board under sub-regulation (1) may, within a period of thirty days from the date of receipt of communication under sub-regulation (2), apply to the Board for reconsideration of its decision.

(4) The Board shall, as soon as possible, in the light of the submissions made in the application for reconsideration made under sub-regulation (3) and after giving a reasonable opportunity of being heard, convey its decision in writing to the applicant.

12. Application for registration of sub-accounts.—(1) A Foreign Institutional Investor shall seek from the Board registration of each sub-account on whose behalf he proposes to make investments in India.

(2) Notwithstanding any thing contained in sub regulation (1) above, any sub-account which has been granted approval prior to the commencement of these regulations by the Board shall be deemed to have been granted registration as a sub-account by the Board under these regulation.

(3) An application for registration as a sub-account shall contain particulars specified in sub-para (b) of para 5 of form A.

13. Procedure and grant of registration of sub-accounts.—(1) For the purpose of grant of registration the Board shall take into account all matters which are relevant to the grant of such registration to the sub-account and in particular the following, namely—

(a) the applicant is an institution or fund or portfolio established or incorporated outside India and proposes to make investment in India;

(b) the applicant is a broad based fund;

(c) the Foreign Institutional Investor through whom the application for registration is made to the Board holds a certificate of registration as Foreign Institutional Investor; and

(d) the Foreign Institutional Investor through whom an application for registration of sub-account is made, is authorised to invest on behalf of the sub-account.

(2) The Board on being satisfied that the applicant is eligible for a grant of registration shall grant registration to the sub-account.

(3) A sub-account granted registration in accordance with sub-regulation (2) of this regulation shall be deemed to be registered as a Foreign Institutional Investor with the Securities and Exchange Board of India for the limited purpose of availing of the benefits available to Foreign Institutional Investors under section 115 AD of the Income Tax Act, 1961, (43 of 1961).

CHAPTER III

INVESTMENT CONDITIONS AND RESTRICTIONS

14. Commencement of investment.—A Foreign Institutional Investor shall not make any investments in securities in India without complying with the provisions of this Chapter.

15. Investment restrictions.—(1) A Foreign Institional Investor may invest only in the following :—

(a) securities in the primary and secondary markets including shares, debentures and warrants of companies listed or to be listed on a recognised stock exchange in India; and

(b) units of schemes floated by domestic mutual funds including Unit Trust of India, whether listed on a recognised stock exchange or not.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) of this regulation, the total investments in equity and equity related instruments (including fully convertible debentures, convertible portion of partially convertible debentures and tradeable warrants) made by a Foreign Institutional Investor in India, whether on his own account or on account of his sub-accounts, shall not be less than seventy per cent of the aggregate of all the investments of the Foreign Institutional Investor in India, made on his own account and on accout of his sub-accounts.

(3) In respect of investments in the secondary market, the following additional conndditions shall apply :—

(a) the Foreign Institutional Investor shall transact business only on the basis of taking and giving deliveries of securities bought and sold and shall not engage in short selling in securities;

(b) no transactions on the stock exchange shall be carried forward;

(c) the transaction of business in securities shall be only through stock brokers who has been granted a certificate by the Board under sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992;

(4) Unless otherwise approved by the Board, securities shall be registered—

(a) in the name of the Foreign Institutional Investor, provided the Foreign Institutional Investor is making investments on his own behalf; or

(b) in his name on account of his sub-account, or in the name of the sub-account, in case he is investing on behalf of the sub-account:

Provided that the names of the sub-accounts on whose behalf the Foreign Institutional Investor is investing are disclosed to the Board by the Foreign Institutional Investor.

(5) The purchase of equity shares of each company by a Foreign Institutional Investor investing on his own account shall not exceed five percent of the total issued capital of that company.

(6) In respect of a Foreign Institutional Investor investing in equity shares of a company on behalf of his sub-accounts, the investment on behalf of each such sub-account shall not exceed five percent of the total issued capital of that company.

(7) The investment by the Foreign Institutional Investor shall also be subject to Government of India Guidelines.

CHAPTER IV

GENERAL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

16. Appointment of domestic custodian.—(1) A Foreign Institutional Investor or a global custodian acting on behalf of the Foreign Institutional Investor, shall enter into an agreement with a domestic custodian to act as custodian of securities for the Foreign Institutional Investor.

(2) The Foreign Institutional Investor shall ensure that the domestic custodian takes steps for—

(a) monitoring of investments of the Foreign Institutional Investor in India;

(b) reporting to the Board on a daily basis the transactions entered into by the foreign Institutional Investor;

(c) preservation for five years of records relating to his activities as a Foreign Institutional Investor; and

(d) furnishing such information to the Board as may be called for by the Board with regard to the activities of the Foreign Institutional Investor and as may be relevant for the purpose of this regulation.

(3) A Foreign Institutional Investor may appoint more than one domestic custodian with prior approval of the Board, but only one custodian may be appointed for a single sub-account of a Foreign Institutional Investor.

17. Appointment of designated.—A Foreign Institutional Investor shall appoint a branch of a bank approved by the Reserve Bank of India for opening of foreign currency denominated accounts and special non-resident rupee accounts.

18. Maintenance of proper books of accounts, records, etc.—(1) Every Foreign Institutional Investor shall keep or maintain as the case may be, the following books of accounts, records and documents, namely :

(a) true and fair accounts relating to remittance of initial corpus for buying, selling and realising capital gains of investment made from the corpus;

(b) accounts of remittances to India for investments in India and realising capital gains on investments made from such remittances;

(c) bank stattment of accounts;

(d) contract notes relating to purchase and sale of securities; and

(e) communication from and to the domestic custodian regarding investments in securities.

(2) The Foreign Institutional Investor shall intimate to the Board in writing the place where such books, records and documents will be kept or maintained.

19. Preservation of books of accounts, records, etc.—Subject to the provisions of any other law, for the time being in force, every Foreign Institutional Investor shall preserve the books of accounts, records and documents specified in regulation 18 for a minimum of five years.

20. Information to the Board.—Every Foreign Institutional Investor shall, as and when required by the Board or the Reserve Bank of India, submit to the Board or the Reserve Bank of India, as the case may be, any information, record or documents in relation to his activities as a Foreign Institutional Investor as the Board or as the Reserve Bank of India may require.

CHAPTER V

PROCEDURE FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT

21. Cancellation or suspension of certificate.—(1) A Foreign Institutional Investor who—

(a) fails to comply with any condition subject to which certificate has been granted; or

(b) contravenes any of the provisions of the Act or these regulations, shall be liable to the penalty of—

(i) suspension of certificate for a specified period; or

(ii) cancellation of certificate, after an enquiry as provided for in these regulations has been held.

(2) The provisions of these regulations shall be without prejudice to those of regulations 22 and 23.

22. Suspension of certificate.—A penalty of suspension of certificate of a Foreign Institutional Investor may be imposed if he—

(a) indulges in fraudulent transactions in securities;

(b) fails to furnish any information related to his transaction in securities as required by the Board or the Reserve Bank of India;

(c) furnishes false information to the Board; or

(d) does not co-operate in any enquiry conducted by the Board.

23. Cancellation of certificate.—A penalty of cancellation of certificate of a Foreign Institutional Investor may be imposed if he—

(a) indulges in deliberate manipulation or price rigging or cornering activities prejudicially affecting the securities market or the investors' interest;

(b) is guilty of fraud or a criminal offence, involving moral turpitude;

(c) does not meet the eligibility criteria laid down in these reglations;

(d) violates the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Insider Trading) Regulations, 1992 or of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices Relating to Securities Markets) Regulations, 1995, made under the Act; or

(e) is guilty of repeated defaults of the nature mentioned in regulation 22.

Explanation : In this regulation, "fraud" shall have the same meaning as is assigned to it in section 17 of the Indian Contract Act, 1872.

24. Manner of making order of suspension and cancellation of certificate.—No order of penalty of suspension or cancellation of certificate shall be imposed on the Foreign

Institutional Investor except after holding an enquiry in accordance with the procedure specified in regulations 25 and 26.

25. Manner of holding enquiry.—(1) For the purpose of holding the enquiry referred to in regulation 24, the Board may appoint an enquiry officer.

(2) The enquiry officer shall issue to the Foreign Institutional Investor a notice at the principal place of business of the Foreign Institutional Investor stating out the default alleged to have been committed by the Foreign Institutional Investor and calling upon him to show cause why the penalties specified in regulation 21 should not be imposed on him.

(3) The Foreign Institutional Investor may, within thirty days from the date of receipt of such notice, furnish to the enquiry officer a reply, together with copies of documentary or other evidence relied on by him in support of its reply :

Provided that the enquiry officer may call upon him to supply further information.

(4) The enquiry officer shall, give a reasonable opportunity of hearing to the Foreign Institutional Investor to enable him to make submission in support of his reply under sub-regulation (3) of this reglation.

(5) Before the enquiry officer, the Foreign Institutional Investor may either appear in person or through any person duly authorised by him in writing.

(6) If it is considered necessary, the enquiry officer may ask the Board to appoint a presenting officer to present its case.

(7) The enquiry officer shall, after taking into account all relevant facts and submissions made by the Foreign Institutional Investor and by the presenting officer, if appointed under sub-regulation (6) above, submit a report to the Board and recommend the penalty if any to be awarded along with the justification for such penalty.

26. Show cause notice and order.— (1) On receipt of the report from the enquiry officer, the Board shall consider the same and issue a show-cause notice to the Foreign Institutional Investor as to why the penalty, which it considers appropriate and which shall be specified in the notice should not be imposed.

(2) The Foreign Institutional Investor shall within twenty-one days of the date of the receipt of the show cause notice referred to in sub-regulation (1), of this regulation send to the Board a reply to the notice.

(3) The Board after considering the reply to the show-cause notice, if received in time, shall as soon as possible but not later than thirty days from the receipt of the reply, if any, pass such order as it deems fit.

(4) Every order passed under sub-regulation (3) of this regulation shall be self-contained and give reasons for the conclusions stated therein including the justification for the penalty, if any, imposed by that order.

27. Effect of suspension and cancellation of certificate.—(1) On and from the date of the suspension of certificate, if ordered under this Chapter, the Foreign Institutional Investor shall cease to buy, sell or otherwise deal in securities in India during the period of suspension.

(2) On and from the date of cancellation of certificate, if ordered under this Chapter, the Foreign Institutional Investor shall cease to buy, sell or otherwise deal in securities in India, except for the purpose of liquidating the existing investments.

28. Publication of order of suspension and cancellation of certificate—The order of suspension or cancellation of certificate under this Chapter shall be published by the Board in at least two daily newspapers.

29. Appeal.—Any Foreign Institutional Investor aggrieved by an order of the Board under the regulations may prefer an appeal to the Central Government under the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Central Government) Rules, 1993.

[F. No. SEBI/LE/95]

D. R. MEHTA, Chairman

FIRST SCHEDULE—FORMS

FORM A

(regulation 5)

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS) REGULATIONS, 1995

APPLICATION FORM FOR GRANT OF CERTIFICATE OF REGISTRATION AS FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTOR WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

Mittal Court 'B' Wing, 1st Floor, Nariman Point, Bombay-400 021, INDIA

1. Name, address, telephone no., telex no. and fax no. of the applicant. In case the applicant already has an office in India, the particulars may also be given for that office.

2. Please indicate whether the applicant belongs to any one or more of the following categories :

Pension Fund, Mutual Fund, Investment Trust, Asset Management Company, Bank, Nominee Company and Incorporated/Institutional Portfolio Manager or their Power of Attorney holder (providing discretionary and non-discretionary portfolio management services).

3. (a) The date and place of incorporation of the applicant.

(b) Brief description of the principal activities of the applicant and the year of commencement of such activities.

(c) Brief description of the group, if any, to which the applicant belongs.

4. Name, address, telephone, telex and fax numbers of the Securities Commission/Self Regulatory Organisation/the relevant statutory authority for the securities market or any other appropriate regulatory authority with whom the applicant is registered or by whom the applicant is regulated in the country where the applicant is incorporated or in the countries of its operations, and the registration number and period of registration.

Please also state whether there has been any instance of violation or non-adherence to the securities laws, code of ethics/conduct, code of business rules, for which the applicant, or its parent/holding company or affiliate may have been subjected to economic,

on criminal liability or suspended from carrying out its operations, or the registration has been revoked. temporarily or permanently.

5. (a) Please indicate the names of the clients on whose behalf you propose to invest in India.

(b) Please provide the following details regarding the clients :

(i) Date and place of incorporation and constitution of the client (i.e. Partnership Firm, Private Company, Public Company, Pension Fund, Mutual Fund, Investment Trust etc.) ;

(ii) Whether the client is a holding or subsidiary company or any other company.

(iii) Whether the client is registered with any regulatory agency ; if so, the name and address of the regulatory agency, registration number and date of registration.

(iv) Objectives and principal activities of the clients (investment|fund management, finance company, investment company, mutual fund, pension fund etc.).

(v) Number and types of shareholders of the client (i.e. individuals, institutions etc.)—percentage distribution of assets between groups of shareholders may also be provided, along with details of the number of beneficiaries on whose behalf the institutional shareholders of the client are investing.

(vi) Volume of assets of the client

[In case the applicant is itself a Fund the information in regard to 5(b) may be provided regarding the Fund].

6. Please indicate the manner in which you propose to conduct your investments in India i.e. whether through an establishment in India or through any other office outside India. Please give details, and also the name of the contact person|compliance officer.

7. Name and address of the designated bank branch in India through whom investment is proposed to be made.

8. (a) Name, address, telephone no., telex no., and fax no. of the domestic custodian. Please also present the background information on the custodian, including volume of business handled, organisational infrastructure and the number of investmtnt companies for which the domesic custodian is acting, or has acted, as custodian.

(b) Particulars of the agreement entered into with the domestic custodian.

ANNEXURE

Documents to be enclosed with the application :

(a) Copies of Memorandum and Articles of Association and Investment Management Agreements or any other agreements authorising the applicant to invest on behalf of its clients.

(b) Audited financial statements and annual reports for the last 5 years.

(c) Documents to support registration or regulation by a Securities Commission and|or Self Regulatory Organisation, or any other appropriate regulatory authority.

(d) Copy of the Custodian Agreement with the domestic custodian.

(e) Declaration Statement (to be given as below).

We hereby agree and declare that the information supplied in the application, including the attachment sheets, is complete and true.

And we further agree that we will immediately notify the Securities and Exchange Board of India and the Reserve Bank of India of any change in the information provided in the application.

We further agree that we shall comply with the provisions of the Act, and regulations issued thereunder and all other relevant laws including guidelines issued by the Reserve Bank of India and the Government of India.

We further agree that as a condition of grant of certificate of registration, we shall abide by such operational instructions|directives as may be issued by Securities and Exchange Board of India under the provisions of the Act and by the Reserve Bank of India from time to time.

For and on behalf of————————

(Name of the applicant)

Authorised Signatory ———— ————

(Name) (Signature

Date :

Place :

Note :

1. Securities and Exchange Board of India (SEBI) and Reserve Bank of India (RBI) reserve the right to call for any further information from the applicant regarding his application.

2. Applications, superscribed "Application for Registration of Foreign Institutional Investor", should be submitted in duplicate, in sealed envelopes, at Securities and Exchange Board of India's office.

FORM B

(regulation 7)

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS) REGULATIONS, 1995

CERTIFICATE OF REGISTRATION

I. In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, read with the regulations made thereunder the Board hereby grants

a certificate of registration to ..... as a Foreign Institutional Investor, subject to the conditions specified in the Act and in the regulations made thereunder.

II. Registration Number for the Foreign Institutional Investor is IN|..|..|...|..

III. Unless renewed, the certificate of registration is valid from..... to .....

Date :

Place : Bombay

By Order

for and on behalf of
Securities and Exchange Board of India
Authorised Signatory

SECOND SCHEDULE—PAYMENT OF FEES

(regulation 7)

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS)

REGULATIONS 1995

(1) Every applicant eligible for grant of a certificate under regulation 7 shall pay a registration fee of US $ 10,000.

(2) The registration fee shall be payable at the time of initial registration as well as at the time of each renewal, within 15 days from the date of intimation from the Board.

(3) The fee indicated above shall be payable by a cheque, draft or other instrument drawn in favour of "The Securities and Exchange Board of India" payable at Bombay.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995